

ER. SAWAN KUMAR

B.Tech, Civil

Regist. Building Engineer, Valuer.

Regist. From Nagar Parishad, Siwan

Reg.No-10/2020-21

Head office

Ashiyana Map & Construction

Rajgharana, Near

ShekharCinema,Siwan

(Bihar)-841226

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No.AMC/BSC/2021/148

Date:- 18/11/2021

Certified that the **CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL, TARWARA, SIWAN-841506 (BIHAR)** under aegis of "**RAMA RADHIKA SOCIAL WELFARE EDUCATIONAL TRUST**" comprised of Ground Plus two upper floors owned /occupied by **CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL, TARWARA, SIWAN-841506** have complied with the Building Bye- Laws in accordance with rule of state /UT, and incorporate the provisions of Building Safety as specified in National Building Code 2005,2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on 13/11/2021 (date of inspection) in the presence of the Vinod Kumar Prasad , Manager, **CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL** and that the said above building/ premises is safe and fit for running school with effect from 18/11/2021 for a period of 65 (Sixty five) years in accordance with rules.

Issued on 18/11/2021 at SIWAN.


Er. Sawan Kumar (B.Tech, Civil)
Certified Registered Engineer
Reg. No. 10/2020-21
Nagar Parishad, Siwan
Rajgharana Station Road, Siwan-841226

To,

CHILDREN'S RISE HIGH SCHOOL

TARWARA,

SIWAN

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by department stand cancelled and annulled due to

.....

.....

.....(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

कार्यालय नगर परिषद, सिवान

पत्रांक-622/

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सिवान।

प्रेषित,

श्री रावण कुमार, अभियंता,
राज धराना स्टेशन रोड,
सिवान।

सिवान, दिनांक 10 वीं अप्रैल 2021 ई०।

विषय :- निबंधन नवीकरण करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपसे प्राप्त आवेदन के आलोक में आपको नगर परिषद, सिवान में भवन निर्माण का नक्शा तैयार करने एवं अनुशंसा हेतु अभियंता के रूप में आपका निबंधन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नवीकृत किया जाता है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 5/न० विधि-01/2014/884/न० विधि एवं आ० वि०/पटना दिनांक- 07.04.2014 द्वारा भवन निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु नियमावली तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम, 2, 2014) बिहार गजट में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत भी अभियंता को भवन निर्माण में सहयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली एवं बिहार गजट के पूर्व प्रावधानों के साथ-साथ नगर परिषद के बोर्ड द्वारा भवन संबंधित जो भी निर्णय लिए जायेंगे तदनुसार भवन निर्माण हेतु अभियंता के रूप में नक्शा पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जाय।

नक्शा तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में भवन उप विधि और बिहार नगरपालिका अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विचलन नहीं किया जाय। इस तरह की कोई कार्य करने पर आपके निबंधन को रद्द करते हुए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

66

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सिवान।

प्रतिलिपि :- झापांक 622/ दिनांक 12/4/2021/

श्री कृष्णा कुमार, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर/प्रभारी प्रधान सहायक -सह- लेखापाल/कनीय अभियंता, नगर परिषद, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सिवान।

कार्यालय नगर परिषद, सिवान।

पत्रांक-1800

संबंध-
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सिवान।

सेवा में,
श्री सावन कुमार अभियंता
राज घराना, स्टेशन रोड, सिवान।


सिवान, दिनांक 20 वी अक्टूबर 2020 ई०।

विषय-
भवन निर्माण योजना को तैयार करने एवं अनुमति करने हेतु अभियंता के रूप में निर्बंधित करने के संबंध में।

महाराज,
उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपसे प्राप्त आवेदन के आलोक में पत्र द्वारा आपको नगर परिषद, सिवान में भवन निर्माण को तैयार करने एवं अनुमति हेतु अभियंता के रूप में आपको प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5/न० विधि-01/2014/884/न० विधि एवं आ० वि०/पटना दिनांक- 07.04.2014 द्वारा भवन निर्माण योजना की स्वीकृति हेतु नियमावली तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम, 2, 2014) बिहार गजट में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत भी अभियंता को भवन निर्माण में सहयोग करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली एवं बिहार गजट के पूर्व प्रावधानों के साथ-साथ नगर परिषद के बोर्ड द्वारा भवन संबंधित जो भी निर्णय लिए जायेंगे तदनुसार भवन निर्माण हेतु अभियंता के रूप में नक्शा पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य हेतु आपको पंजीकरण संख्या-10/2020-21 आवंटित किया जाता है। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मान्य होगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत पंजीकरण नवीकरण करना होगा।

नक्शा तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में भवन उप विधि और बिहार नगर पालिका अधिनियम के अन्य मानकों का उल्लंघन, अतिक्रमण या विघटन नहीं किया जाय। इस तरह की कोई कार्य करने पर आपके निबंधन को रद्द करते हुए आपके विलुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सिवान।

प्रतिलिपि :-
झापांक 1800/ दिनांक 20/10/2020/
श्री कृष्णा कुमार, संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रभारी प्रधान सहायक -सह-

लेखापाल/कनीय अभियंता, नगर परिषद, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सिवान।
20/10/2020